उत्तर प्रदेश सरकार

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,

(प्रकाशन प्रभाग)

संख्या–500/सू0एवं ज0सं0वि0(प्रका0)–14/96

लखनऊ :दिनांक 09 सितम्बर, 2013

शासनादेश संख्या–299/उन्नीस–2–2002–18/2002, दिनांक 02 मई, 2002 तथा तत्सम्बन्धी यथा संशोधित शासनादेश संख्या–495/उन्नीस–2–2002–18/2002, दिनांक 31 मई, 2002 में प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत निजी प्रिंटिंग प्रेसों के पंजीकरण से सम्बन्धित आपसे प्राप्त आवेदन पत्र तथा उसके साथ संलग्न अन्य अभिलेखों का परीक्षण/निरीक्षण समिति द्वारा किया गया।

इस सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि आपके प्रेस का पंजीकरण माह अगस्त, 2016 तक के लिए श्रेणी ''क'' में किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उक्त श्रेणी में पंजीकरण से सम्बन्धित जमानती धनराशि रु0 30,000–00(रूपये तीस हजार मात्र) इस विभाग में एफ0डी0आर0, पोस्ट आफिस,सेविंग बैंग/राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में अधोहस्ताक्षरी के नाम बन्धक रखते हुए 30 सितम्बर, 2013 तक प्रत्येक दशा में जमा करने का कष्ट करें।

अन्य समस्त शर्तें उक्त शासनादेश के अनुसार लागू मानी जायेंगी।

(प्रभात मित्तल)
सूचना निदेशक

सेवा में,

श्रीमंत प्रिन्टको प्रिन्टर्स,
22 जगतनारायण रोड,
लखनऊ।